राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
50वीं बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2014 का कार्यवृत्त

श्री पल्लव महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने एस.एल.बी.सी. की **स्वर्ण जयंती बैठक** में माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी एवं माननीय वित्त मंत्री डा. श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी का हार्दिक अभिनन्दन और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड का ऋण-जमा अनुपात 22% था, जोकि अब बैंकों के निरंतर प्रयासों से बढ़कर 64% का आँकड़ा पार कर गया है जिसके लिये बैंक बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन-धन योजना, के नाम से संपूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी, जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा मिशन मोड के तहत चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शत प्रतिशत परिवारों के बैंक खाते 31 मार्च, 2015 तक खोलने का लक्ष्य है, जिसकी निगरानी राज्य एवं जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा की जायेगी।

इस योजना को लागू करने हेतु बी.एस.एन.एल. की कनेक्टिविटी नितांत आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने बीएसएनएल से अनुरोध किया कि वे राज्य के सभी रिहायशी क्षेत्रों के निकटतम परिधि (5 किलोमीटर के अंदर) में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अंत में उन्होंने सभी बैंकों, राज्य सरकार, मीडिया एवं विभिन्न डेवलपमेन्ट एजेन्सियों का राज्य के विकास में सहयोग एव ऋण प्रवाह को गति देने के लिये धन्यवाद दिया।

<u>डा. इंदिरा हृदयेश, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार</u>

माननीय वित्त मंत्री महोदया ने सभी बैंकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को बैंक शाखाओं से नये ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे पुन: अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें। उन्होंने सभा में उपस्थित संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावितों के बैंक ऋण पर देय 2 वर्ष की अवधि का ब्याज (15.06.2013 से 14.06.2015) को माफ कर दिया जाये।

उन्होंने बैंकों की सराहना करते हुए कहा कि अब सभी बैंकों ने, दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र जहाँ वर्तमान में बैंकिंग सेवायें नहीं पहुँच पायी हैं, वहाँ भी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत नई शाखायें / बिजनेस कॉरेसपोंडेन्ट के माध्यम से मूलभूत बैंकिंग सुविधायें प्रदान कराना आरम्भ कर दिया है।

वित्त मंत्री महोदया ने बैंकों को निर्देशित किया कि विगत वर्ष में आयी प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य का पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इसलिये वहाँ पर नये स्वयं सहायता समूहों (विशेषकर महिला समूहों) को अधिक से अधिक संख्या में बैंक से वित्तपोषित किया जाये ताकि वे स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर जीविकोपार्जन कर सकें। सभी बैंक ऋण देने के उपरांत उसका follow-up and monitoring भी करते रहे ताकि ऋणों की अदायगी समय पर हो सके।

श्री हरीश रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंक एवं अन्य बैंकों से अपेक्षा की कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थति एवं कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों में विकास के लिये रोडमैप तैयार करें।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को वाणिज्यक भू-उपयोग परिवर्तित करवाने में कठिनाइयाँ आती हैं जिसके समाधान के लिये अब राज्य सरकार संशोधित अध्यादेश जारी करने जा रही है।

उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के ऋण-जमा अनुपात का आंकलन करते हुए सभी बैंकों से कहा कि अल्प विकसित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने हेतु ठोस कदम उठायें, ताकि क्षेत्रीय विभिन्नता (regional disparity) को कम किया जा सके। इसके लिये उन्होंने नाबार्ड से कहा कि स्वयं सहायता समूहों का अधिक से अधिक संख्या में गठन कर, बैंकों से उनका वित्तपोषण करवायें।

मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के तर्ज पर पर्यटन स्थलों को विकसित करें और जैसे उन्होंने स्थानीय संसाधनों / सांस्कृति धरोहर के अनुरुप छोटे-छोटे कुटीर उद्योग, हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम को आसपास के गाँवों में क्लस्टर विकसित कर वे आर्थिक रुप से सशक्त हुए हैं वैसे ही हमें भी उत्तराखण्ड राज्य की पौराणिक धरोहर आधारित उत्पाद छोटे-छोटे उद्योगों में तैयार करने चाहियें। जिसके लिये इन उद्यमियों को बैंकों द्वारा क्रॉस गारंटी लेते हुए **ज्वांइट लाइब्लिटी ग्रुप** के अंतर्गत उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने की अहम भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने "कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व" के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग क्षेत्र विशेष अथवा गाँव को अंगीकृत कर उसका सर्वांगीण विकास करें, जो आगे चलकर राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा।

अंत में उन्होंने कहा कि बैंक आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पुन: विकसित करने की दिशा में समग्र रुप से प्रयास करें और दूर-दराज के क्षेत्रों / गाँवों में नई शाखा खोलने की प्रक्रिया में तेजी लायें।

<u>श्री राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन</u>

अपर मुख्य सचिव महोदय ने सदन को अवगत कराया कि संपूर्ण वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गाँव में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने हेतु दिनांक 13 अगस्त, 2014 को संयोजक, एस.एल.बी.सी., सभी बैंक, बी.एस.एन.एल. एवं बी.बी.एन.एल. के साथ एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक बैठक आहूत की गयी थी जिसमें दूर-दराज के गाँवों में बी.एस.एन.एल. ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी तथा प्रत्येक एस.एस.ए. / क्लस्टर में एक निश्चित केंद्र पर बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेन्ट शीघ्र नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उन्होंने कहा कि बैंक अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पुन: विकसित करने हेतु उनका चयन करें।

<u>श्री अनूप वाधवन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार</u>

संयुक्त सचिव महोदय ने सदन को अवगत कराया कि संपूर्ण वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अब "प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के नाम से एक महत्वकांक्षी मिशन का शुभारम्भ दिनांक 28 अगस्त, 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि पूर्व में वित्तीय समोवशन योजना (एफ.आई.पी.) के अंतर्गत किसी गाँव में बैंकिंग सेवायें पहुँचाने पर उसे आच्छादित माना जाता था, परंतु अब जन-धन योजना को परिवार उन्मुख बनाया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इस कार्य को मिशन मोड में पूर्ण करने हेतु बैंकिंग रोडमैप को ससमय तैयार करने एवं संबंधित बैंकों को उनके लक्ष्य आवंटित किये जाने पर उन्होंने एस.एल.बी.सी. का आभार प्रकट किया। इस मिशन को सुचारु रुप से पूर्ण करने में बी.एस.एन.एल. की कनेक्टिविटी का होना अनिवार्य है। वर्तमान में संचार के तीन महत्वपूर्ण माध्यम - ब्रॉड बैण्ड, वाई.-मैक्स एवं मोबाइल (Spectrum Frequency) हमारे पास उपलब्ध हैं जिन्हें बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पोंडेन्ट द्वारा संचालित उपकरणों की आवश्यकतानुसार बी.एस.एन.एल. / बी.बी.एन.एल. उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे बताया गया है कि मोबाइल सेवाओं के माध्यम से किसी भी प्रकार का बैंकिंग संबंधी कार्य नहीं निष्पादित किया जा सकता है, इसलिये टेलीकॉम विभाग से अनुरोध है कि तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Feasibility) के हिसाब से कनेक्टिविटी प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।

अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के द्वितीय चरण में माइक्रो इंश्योरेन्स एवं पेंशन की योजना भी लागू की जानी है। अत: बीमा कंपनियों को इस दिशा में बैंकों के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

<u>श्री बिश्वा केतन दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक</u>

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को 50वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऋण सम्भावना को ध्यान में रखते हुए वार्षिक ऋण योजना तैयार की जायेगी और सभी बैंक जहाँ संभव हो सके वहाँ अपनी नई शाखायें खोलेंगे। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये जायें और क्षेत्र की पारंपरिक हैण्डीक्राफ्ट उत्पादों के निर्माण एवं उनके विपणन हेतु ऋण दिये जायें। उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों एवं बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये धन्यवाद किया।

****